न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:– 01 / 2025 दायर दिनांक:– 23.01.2025

22

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

चन्दू पुत्र मन्ना जाति भील सहरिया निवासी परानियां, तहसील किशनगंज जिला बारां

– अपीलान्ट

–: बनाम:–

1. रतनलाल पुत्र कान्हा जाति ओड निवासी परानियां तहसील किशनगंज जिला बारां राज.
2. चम्पालाल पुत्र नारायण जाति ओड निवासी परानियां तहसील किशनगंज जिला बारां राज.

– रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

1. श्री सत्यनारायण गोयल – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री घनश्याम गर्ग – अभिभाषक रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध निर्णय एंव आदेश अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज,दिनांक 05.12.2024 अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 27.05.2025

अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार किशनगंज के निर्णय दिनांक 05.12.2024 प्रकरण संख्या 10 / 2024 उनवान चन्दू बनाम रतनलाल बगेरहा अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट अपील इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फिस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए। रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

संक्षेप विवरण निम्न प्रकार है :–

यह कि वांके ग्राम परानियां पटवार हल्का परानियां तहसील किशनगंज जिला बारां राज० में आराजी खेवट खतोनी सं. नई 38 पुरानी 172 ख0नं0 414 रकबा 16.05 बीघा किस्म बंजड लगानी 3.25 रू. स्थित है इस भूमि का अपीलान्ट सहखातेदार है अपीलान्ट द्वारा इस भूमि से रेस्पोडेन्ट को बेदखल करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, किशनगंज में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण सं. डाले निर्णय पारित कर विधि के प्रावधानों के विरूद्ध दिनांक 5.12.2024 को इस आधार पर निरस्त फरमा दिया कि विवादित भूमि अपीलान्ट चन्दू कही सहखातेदारी की भूमि चूंकि सहखातेदार है इस कारण अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे धारा 53 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें अपीलान्ट के हिस्से में कोई अन्य काबिज पाया जाता है तो बेदखली की कार्यवाही करें जबकि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 में स्पष्ट प्रावधान है कि सहअभिधारियो में से कोई एक वाद फाईल कर सकेगा बेदखली का वाद किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अतिचारी को अभिघारी के रूप में स्वीकार करने (अब बेदखल करने) के लिए हकदार है लाया जा सकता है । यह आवश्यक नही है कि उनमे से सभी को सहवादिया के रूप मे सम्मिलित किया जाये। सहअभिधारियो मे से कोई भी दुसरे अंशधारियो को साथ लिये बिना अतिचारी को बेदखल करने का वाद लाने का हकदार है एवं बेदखली के वाद में अतिचारी को सम्पूर्ण जोत पर से बेदखल किया जा सकता है न कि

(23)

विशेष अंश (शेयर) पर से इस कारण अधीनस्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज ही है। जिसको अपीलान्ट निरस्त करवाकर इस मद में वर्णित अपीलान्ट की सहखातेदारी की भूमि पर से रेस्पोडेन्टगण को बेदखल करवाकर पुनः अपीलान्ट इस भूमि पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।

यह कि अपीलान्ट की मद नं. 1 में वर्णित भूमि पर दिनांक 01.06.2024 को रेस्पोडेन्टगण द्वारा जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर लिया है जब अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टगण से दिनांक 01.06.2024 को अपीलान्ट की भूमि पर से कब्जा छोडने की कहा तो रेस्पोडेन्टगण ने दिनांक 01.06.2024 को अपीलान्ट की भूमि से कब्जा छोडने से साफ इन्कार कर दिया। अपीलान्ट जाति से सहरिया भील है जो अनुसूचित जनजाति का असहाय एवं कमजोर व्यक्ति है इसी का नाजायज फायदा उठाकर रेस्पोडेन्टगण, अपीलान्ट के खाते की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमी की हैसियत से जबरन लट्ठ व ताकत के बल पर कब्जा किये हुये है। रेस्पोडेन्टगण, अपीलान्ट की भूमि पर किस हैसियत से काबिज है इसका जबाव भी अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्टगण द्वारा नहीं दिया गया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2024 काबिले खारिज ही है ।

यह कि अपीलान्ट काफी गरीब व्यक्ति है उक्त भूमि अपीलान्ट के परिवार का एक मात्र भरण पोषण का जरिया है यह भूमि अपीलान्ट के हिस्से में आयी है इस कारण अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट को बेदखल करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.12.2024 के पश्चात् अपीलान्ट की तबीयत खराब हो जाने के कारण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय की नकल लेने हेतु दिनांक 09.01.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय ने इस निर्णय की नकल अपीलान्ट को दिनांक 16.01.2025 को दी। नकल मिलने के पूर्व के समय से न्यायहित मे कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की है ।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रकरण संख्या डाले पारित कर विधि के प्रावधानों के विरूद्ध दिनांक 5.12.2024 को इस आधार पर निरस्त फरमा दिया कि विवादित भूमि अपीलान्ट चन्दू कही सहखातेदारी की भूमि चूंकि सहखातेदार है इस कारण अपीलान्ट सक्षम न्यायालय मे धारा 53 के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें। रेस्पोडेण्टगण द्वारा पत्रावली में कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है। निर्णय स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य है। रेस्पोडेण्टगण द्वारा आराजी खेवट खतोनी सं. नई 38 पुरानी 172 ख0नं0 414 रकबा 16.05 बीघा किस्म बंजड वांके ग्राम परानियां पर अनाधिकृत तौर पर कब्जा किया है, यह भूमि अपीलान्ट के हिस्से में आयी है इस कारण अपीलान्ट, रेस्पोडेन्ट को बेदखल करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीदार किशनगंज द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2024 निरस्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करें तथा निर्णय अनुसार पालना किये जाने हेतु स्पष्ट आदेश पारित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित वापस तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)